वी. के. बाली और बी. राय, न्यायमूर्तिगण, के समक्ष

मुकेश कुमार और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और एक और,-उत्तरदाता

सी. डब्ल्यू. पी. 12353 सन *1998*

18 अगस्त, 1998

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद. *226/22 7*-हरियाणा चावल खरीद *(शुल्क)* दूसरा संशोधन आदेश, *1996*-सी. एल. एस. *6* 'और *7 (4)*-आवश्यक वस्तु अधिनियम, *1955*-एस. *3,* 6, *7* और *10*-कलेक्टर द्वारा जब्त किए गए चावल-नमूने लिए गए और प्राथमिकी दर्ज की गई-कलेक्टर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त किए गए चावल की नीलामी का आदेश दिया-इसे चुनौती दी क्योंकि कलेक्टर द्वारा कोई जब्ती आदेश पारित नहीं किए गए थे-आदेश को अधिकार क्षेत्र के बिना रद्द कर दिया गया-क्योंकि दण्ड प्रकिया संहिता की धारा *451* के तहत प्राप्त की जाने वाली मामले की संपत्ति की वापसी के संबंध में आपराधिक मामला लंबित है।

अभिनिर्धारित किया कि आक्षेपित आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ई के तहत पारित नहीं किया जा सकता है। हम याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील के इस तर्क में योग्यता पाते हैं कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 451 मामले के तथ्यों पर लागू थी, विशेष रूप से जब माना जाता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आपराधिक मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है और भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधान और जांच चल रही है।

(पैरा 7)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में आदेश को अधिकार क्षेत्र के बिना होने के कारण हम जांच अधिकारी को संबंधित मजिस्ट्रेट से मामले की संपत्ति के संबंध में आदेश प्राप्त करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत एक उचित आवेदन दायर करने का निर्देश देते हैं।

(पैरा 9)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुश्री जयश्री ठाकुर के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एम. एल. सरीन।

उत्तरदाता के लिए ए. पी. मनचंदा, अतिरिक्त ए. जी. हरियाणा।

<u>निर्णय</u>

वी. के. बाली न्यायमूर्ति. *(*मौखिक*)*

(1) इसमें कलेक्टर जींद द्वारा पारित 21 जुलाई, 1998 के आदेश, को चुनौती दी गई अनुलग्नक पी-8, जिसमें याचिकाकर्ताओं और खाद्य निगम के कुछ अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के अनुसार जब्त किए गए एन. आई. ई. के 21,300 थैलों को नीलाम करने का आदेश दिया गया है।कलेक्टर द्वारा पारित आदेश का कार्यात्मक भाग इस प्रकार हैः—

"विशेषज्ञों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार चावल तेजी से और प्राकृतिक क्षय के अधीन है और इसलिए, मैं आदेश देता हूं कि इसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाए। इस उद्देश्य के लिए जिला प्रबंधक, एफसीआई, रोहतक द्वारा नीचे दी गई विस्तृत कार्रवाई की जाएगी।

नीलामी के उद्देश्य से विज्ञापन कम से कम चार राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में, दो अंग्रेजी में और दो हिंदी में, दो स्थानीय समाचार पत्रों के अलावा, विज्ञापन की तारीख और नीलामी की तारीख के बीच पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।जींद

जिले के साथ-साथ राज्य के अन्य जिला मुख्यालयों में प्रमुख स्थानों पर नीलामी की सूचना चिपका कर पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिए।नीलामी की कार्यवाही के संबंध में प्रक्रिया डी. एम., एफ. सी. आई. द्वारा डी. एफ. एस. सी., जींद और डी. डी. ए. के साथ तय की जाएगी जो नीलामी की पूरी प्रक्रिया में उनकी मदद करेंगे।स्टॉक की सुरक्षा के संबंध में डी. एम., एफ. सी. आई. रोहतक खुले में पड़े स्टॉक को गोदामों में स्थानांतरित करने के लिए भी कार्रवाई करेगा ताकि।इसे बारिश से बचाया जाता है।वह पशुओं को कीटों और कीटों से बचाने के लिए उन्हें धूमा देना भी सुनिश्चित करेंगे।उपरोक्त सभी खर्चों को बिक्री से प्राप्त आय में से काट लिया जाएगा और शेष राशि कोषागार में जमा की जाएगी।"

(2) वर्तमान याचिका दायर करने में समाप्त होने वाले संक्षिप्त तथ्यों का आवश्यक उल्लेख करने की आवश्यकता है।याचिकाकर्ताओं का मामला है कि वे जींद जिले की नरवाना तहसील के आसपास के क्षेत्र में चावल मिलों के लाइसेंस प्राप्त मिल मालिक हैं और पिछले लगभग 10 से 15 वर्षों से चावल मिलिंग में लगे हुए हैं।समय-समय पर जारी राज्य सरकार के निर्देशों/अधिसूचना के अनुसार, चावल मिल मालिकों को राज्य सरकार को एक निश्चित मूल्य पर लेवी चावल की आपूर्ति करने का आदेश दिया जाता है।खाद्य और आपूर्ति विभाग ने याचिकाकर्ताओं को लगभग 21,300 थैलों के लेवी चावल की 71 खेपों की आपूर्ति के लिए 71 अनुबंध संख्या जारी किए।याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि 25 अप्रैल, 1998 से 30 अप्रैल, 1998 तक याचिकाकर्ताओं ने अनुबंध के अनुसार चावल की 71 खेप की आपूर्ति की और उसे एफ. सी. आई. के गोदाम, नरवाना में छोड़ दिया।के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। 4 मई, 1998 को याचिकाकर्ता, जिसके आधार पर पुलिस ने चावल की खेप को सील कर दिया और सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा स्वयं इसका विश्लेषण किया गया।हरियाणा राइस प्रोक्योरमेंट (लेवी) द्वितीय संशोधन आदेश, 1996 में प्रदान की गई वस्तुओं के परीक्षण और नमूने लेने की प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया गया था, और न ही जब पुलिस द्वारा नमूने लिए गए थे तो याचिकाकर्ताओं को संबद्ध किया गया था।9 मई, 1998 को डीएसपी द्वारा कलेक्टर नरवाना को एक जब्ती रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।कलेक्टर ने उक्त रिपोर्ट जींद के एसपी को वापस कर दी और जब्ती की विस्तृत रिपोर्ट मांगी ताकि आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके।14 मई, 1998 को कलेक्टर को दर्ज की गई प्राथमिकी और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं 7/10/55 को लागू करने का विवरण देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। कलेक्टर द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 17 जून, 1998 को याचिकाकर्ताओं को कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था।आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6-ए और 7 के तहत नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के साथ सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट भी संलग्न की गई थी।याचिकाकर्ताओं ने 17 जुलाई, 1998 को कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल किया।उन्होंने दलील दी कि लेवी आदेश के खंड 6 और 7 (4) के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और खेप की जब्ती अवैध थी।यह भी अनुरोध किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। याचिकाकर्ताओं का यह भी मामला है कि इस बीच जांच अधिकारी ने 25 जून, 1998 के पत्र के माध्यम से चावल मिल मालिकों को सूपरदारी पर चावल वापस करने की सिफारिश की, जैसा कि सामान्य रूप से चावल जिसे "अस्वीकृति सीमा से परे" घोषित किया गया था, आपूर्तिकर्ताओं को वापस कर दिया जाता है।— 21 जुलाई, 1998 के विवादित आदेश के माध्यम से कलेक्टर ने खेप की नीलामी का आदेश दिया।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कलेक्टर के इस आदेश को वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

(3) इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, प्रतिवादीगण ने बचाव में प्रवेश किया है और लिखित बयान दाखिल करके याचिकाकर्ताओं के मामले को चुनौती दी है।

(4) याचिका के समर्थन में कई मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री सरीन द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश, अनुलग्नक पी-8 अधिकार क्षेत्र से बाहर है।आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6, जिसके तहत कलेक्टर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है, उसे इस तरह का आदेश पारित करने के लिए बाध्य नहीं करता है।उसी प्रकार श्री सरीन का तर्क है कि एक बार याचिकाकर्ताओं और एफ. सी. आई. के कुछ अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक वस्तुओं और आई. पी. सी. के कुछ प्रावधानों के तहत मामला दर्ज हो जाने के बाद, मामले की संपत्ति के संबंध में आदेश केवल आपराधिक अदालत द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 के प्रावधानों के तहत पारित किया जा सकता है।

(5) चूंकि श्री सरीन ने इस स्तर पर केवल कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र के संबंध में मुद्दा उठाया है, इसलिए मामले के विस्तृत तथ्यों और लिखित बयान की सामग्री देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसमें विवादित आदेश पारित करने के लिए विवरण दिए गए हैं। श्री मनचंदा, एडिशनल।ए. जी. हरियाणा अनुलग्नक पी-8 के समर्थन में प्रतिवादीगण का प्रतिनिधित्व करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ई पर निर्भर करता है। उपरोक्त खंड इस प्रकार हैः—

> "6 ई. कुछ मामलों में अधिकारिता का प्रतिबंध-जब भी धारा 3 के तहत किए गए किसी आदेश के अनुसार किसी आवश्यक वस्तु को जब्त किया जाता है, या कोई पैकेज, आवरण या पात्र जिसमें ऐसी आवश्यक वस्तु पाई जाती है या कोई पशु वाहन, पोत या ऐसी आवश्यक वस्तु ले जाने में उपयोग किया जाने वाला अन्य वाहन धारा 6 ए के तहत जब तक जब्त नहीं किया जाता है, तो कलेक्टर या, जैसा भी मामला हो, धारा 6 सी के तहत संबंधित राज्य सरकार के पास होगा, और इसके विपरीत किसी अन्य कानून में निहित किसी भी चीज के बावजूद, किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के पास ऐसी आवश्यक वस्तु, पैकेज, आवरण, पात्र, पशु के कब्जे, वितरण, निपटान, रिलीज या वितरण के संबंध में आदेश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।"

(6) धारा 6 ई के लागू होने की अनिवार्यता यह है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत समय से पहले एक आदेश पारित किया जाना चाहिए। उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः—

> "3. आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति वितरण आदि को नियंत्रित करने की शक्तियां-यदि केंद्र सरकार की राय है कि किसी भी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए या उचित मूल्यों पर उनके समान वितरण और उपलब्धता को सुरक्षित करने के लिए (या भारत की रक्षा के लिए या सैन्य अभियानों के कुशल संचालन के लिए किसी भी आवश्यक वस्तु को सुरक्षित करने के लिए) ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण और उसमें व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिबंधित करने का प्रावधान कर सकती है।"

(7) तर्कों के दौरान यह विवादित नहीं हो सकता कि इस मामले में धारा 3 के तहत ऐसा कोई आदेश कभी पारित नहीं किया गया है।तर्कों के दौरान यह भी विवादित नहीं किया जा सकता है कि धारा 3 इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है।चूंकि न तो धारा 3 इस मामले के तथ्यों पर लागू होती है और न ही उक्त मामले में वास्तव में कोई आदेश पारित किया गया है, हमारा विचार है कि आवश्यक वस्तुओं की धारा 6 ई के तहत विवादित आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

एक्ट करें। हम याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील के इस तर्क में योग्यता पाते हैं कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 451 मामले के तथ्यों पर लागू थी, विशेष रूप से जब माना जाता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आपराधिक मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है और भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधान और जांच चल रही है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 इस प्रकार हैः—

"451. कुछ मामलों में विचाराधीन संपत्ति की अभिरक्षा और निपटान के लिए आदेश- जब किसी संपत्ति को किसी जांच या मुकदमे के दौरान किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, तो न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है जो वह जांच या मुकदमे के समापन तक ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए उचित समझे, और यदि संपत्ति तेजी से और प्राकृतिक क्षय के अधीन है, या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है, तो न्यायालय, ऐसे साक्ष्य को दर्ज करने के बाद, जो वह आवश्यक समझता है, उसे बेचने या अन्यथा निपटाने का आदेश दे सकता है।"

(8) हम विवाद के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं और इस रिट याचिका का निर्णय केवल कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र के संबंध में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा दिए गए प्रश्न पर कर रहे हैं।इस बारे में कि क्या इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मामले की संपत्ति की नीलामी का आदेश पारित किया जाना चाहिए था या नहीं, यह संबंधित मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में है और इस मामले में मामले के गुण-दोष पर कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

(9) आदेश अनुलग्नक पी-8 अधिकारिता के बिना होने के कारण आदेश को रद्द करते समय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में हम जांच अधिकारी को संबंधित मजिस्ट्रेट से मामले की संपत्ति के संबंध में आदेश प्राप्त करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत एक उचित आवेदन दायर करने का निर्देश देते हैं।यह आवेदन 20 अगस्त, 1998 को किया जाए, जिस तारीख को हम दोनों पक्षों को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश देते हैं।याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने के लिए केवल दो दिन का समय दिया जाएगा और जवाब प्राप्त होने के बाद यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि साक्ष्य दर्ज करना आवश्यक है, तो वह दोनों पक्षों को एक अवसर देगा जो दो दिनों से अधिक का नहीं होना चाहिए।संबंधित मजिस्ट्रेट पक्षकारों द्वारा अपनी गवाही समाप्त करने की तारीख से तीन दिनों के भीतर कानून के अनुसार आदेश पारित करेगा।यह हर हाल में स्वीकार किया जाता है कि जो चावल जब्त किया गया है और जिसका मूल्य एक करोड़ या उससे अधिक है, वह खराब स्थिति में है और अगर जल्द से जल्द नहीं बेचा गया तो बर्बाद होने की संभावना है। इस याचिका को स्वीकार करते हुए हम इसे रद्द कर देते हैं

आदेश अनुलग्नक पी-8 और नीलामी जिसने इस मामले के लंबित रहने के दौरान समय लिया है।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पक्षकारों को उनके वकील के माध्यम से 20 अगस्त, 1998 को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।तदनुसार निपटाया गया।

जे एस टी।

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी*

व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वियन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

डा० सुशीला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रोहतक,हरियाणा